

भारत सरकार  
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय  
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं.3689  
मंगलवार, 17 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए नियत

**राष्ट्रीय ई-मोबिलिटी कार्यक्रम**

**3689. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:**  
**डॉ. सुभाष रामराव भामरे:**  
**श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:**  
**श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:**  
**श्री डी.एन.वी सेंथिलकुमार एस.:**  
**श्री कुलदीप राय शर्मा:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार राष्ट्रीय ई-मोबिलिटी कार्यक्रम को लागू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं;
- (ख) क्या एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने देश भर के विभिन्न राजमार्गों पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के साथ एक समझौत ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एमओयू की निबंधन और शर्तें क्या हैं;
- (घ) क्या सरकार ने विद्युत वाहनों को अपनाने के संबंध में शहरों में जनता के बीच चिंता को कम करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा स्थापित किए जा रहे सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है; और
- (ङ) क्या ईईएसएल और बीएचईएल (भेल) दोनों ने राष्ट्रीय ई-मोबिलिटी कार्यक्रम के अंतर्गत देश में ई-मोबिलिटी, विद्युत वाहनों के शीघ्र अंगीकरण के क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर  
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री  
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (एनईएमएमपी) 2020 के भाग के रूप में, भारी उद्योग विभाग ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड प्रौद्योगिकी के विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा इसकी सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2015 में एक स्कीम नामतः भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम-इंडिया) तैयार की। इस स्कीम का चरण-1 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से मूलतः

दो वर्षों की अवधि के लिए था, जिसे बाद में समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बढ़ोतरी दिनांक 31 मार्च, 2019 तक थी।

फेम इंडिया योजना के चरण-I के दौरान प्राप्त अनुभव और परिणाम के आधार पर और उद्योग जगत एवं उद्योग संघों सहित सभी संबंधित पक्षों से परामर्श करने के बाद, भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 08 मार्च, 2019 को फेम इंडिया योजना के चरण- II को अधिसूचित किया जो ₹10,000 करोड़ की कुल बजटीय सहायता के साथ दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से आरंभ होकर तीन वर्षों की अवधि के लिए है। यह चरण मुख्यतः सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण में सहायता करने पर केन्द्रित होगा और इसमें मांग प्रोत्साहन के माध्यम से 7000 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के अंतर्गत चार्जिंग अवसंरचना के सृजन हेतु भी सहायता दी जाएगी ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोक्ताओं की रेंज संबंधी चिंताओं को दूर किया जा सके।

स्कीम के प्रथम चरण में, लगभग ₹359 करोड़ के मांग प्रोत्साहन के द्वारा लगभग 2.8 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की सहायता की गई। इसके अलावा, भारी उद्योग विभाग ने ₹300 करोड़ की कुल लागत के साथ देश के विभिन्न शहरों को 425 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसें मंजूर की। भारी उद्योग विभाग ने फेम-इंडिया स्कीम के चरण-I के तहत ₹43 करोड़ (लगभग) के लिए लगभग 500 चार्जिंग स्टेशन/अवसंरचना भी मंजूर की है। फेम इंडिया स्कीम के चरण-II के तहत मांग प्रोत्साहन के द्वारा दिनांक 12.03.2020 तक लगभग 15,800 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, स्कीम के चरण-II के तहत विभिन्न राज्य/नगर परिवहन उपक्रमों को 5595 इलेक्ट्रिक बसें मंजूर की गई हैं।

फेम इंडिया स्कीम में सरकारी एजेंसियों, उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित विभिन्न संबद्ध पक्षों की सक्रिय भागीदारी एवं सहभागिता के माध्यम से ईवी प्रयोक्ताओं के बीच विश्वास पैदा करने के लिए पर्याप्त चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने हेतु सहायता की परिकल्पना है। फेम इंडिया स्कीम के चरण-I के तहत, भारी उद्योग विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए लगभग 500 चार्जिंग स्टेशनों/अवसंरचना को मंजूरी दी। इन 500 चार्जिंग स्टेशनों में से 279 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने फेम इंडिया (भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण) स्कीम के चरण-II के तहत 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 62 शहरों में ईवी के लिए 2,636 चार्जिंग स्टेशन भी मंजूर किए हैं।

ईईएसएल एवं बीएचईएल से प्राप्त सूचना के अनुसार, ईईएसएल ने समूचे देश के विभिन्न राजमार्गों पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना का नेटवर्क स्थापित करने के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। ईईएसएल और बीएचईएल-दोनों ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के नेटवर्क के विकास और ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए कदम उठाए हैं।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, ईईएसएल सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के प्रचालन एवं रखरखाव के साथ सेवाओं पर संपूर्ण अपफ्रंट निवेश करेगा जबकि बीएचईएल संकल्पना से कमीशनिंग तक पूर्ण ईपीसी समाधान प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन में उपयुक्त स्थलों पर चार्जिंग स्टेशनों की पहचान, आयोजना, विकास और संस्थापना हेतु सहयोग शामिल है।

\*\*\*\*\*